

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 18/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीए/राआनि)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. अंजनी सिनथेटिक्स लिमिटेड, फेक्टरी-140, पिराना रोड, पिपलाज, अहमदाबाद- 382315 और श्री वासुदेव अग्रवाल, निदेशक, मै. अंजनी सिनथेटिक्स लिमिटेड, फेक्टरी-140, पिराना रोड, पिपलाज, अहमदाबाद- 382315	फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/Enq-06/2019 दिनांक 09.04.2019.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा कस्टम आयुक्तालय, पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुँदरा पोर्ट, मुँदरा.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा - III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ (तालिका के क्रम सं. 1 से 5 के लिये)
2.	मै. राज एक्सपोर्ट्स, स्वस्तिक बंसीधर इंजिन. के पीछे, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, नरोल, अहमदाबाद - 380002.	फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/Enq-07/ 2019 दिनांक 09.04.2019.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़	
3.	मै. श्री भव्या फब्रिक्स लिमिटेड, सर्वे सं. 170, एडवांस पेट्रोकेम के सामने, पिराना रोड, पिपलाज, अहमदाबाद	फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/Enq-03/ 2019 दिनांक 09.04.2019	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुँदरा पोर्ट, मुँदरा के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क,	
4.	मै. कीर्ति ओवरसीस, 29, आकाशनीम बंगला, नेहरू फ़ाउंडेशन के सामने, बोदकदेव, अहमदाबाद अपने प्रोपराइटर श्री रामभगत आर अगरवाल के जरिये.	फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/Enq-04/ 2019 दिनांक 09.04.2019	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (E), मुंबई के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क	

	<p>और मै. कीर्ति ओवरसीस, 108, अक्षर स्तडिया, सिंफ़ोनी हाउस के सामने, पटेल एवेन्यू के पीछे, थलतेज, बोदकदेव, अहमदाबाद, अपने प्रोपराइटर श्री रामभगत आर अगरवाल के जरिये.</p>		<p>(आयात)</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), पोर्ट यूसर बिल्डिंग, अदानी पोर्ट, मुँदरा, कच्छ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क,</p> <p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा - III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क</p>	
5.	<p>मै. सीटीएम टेक्सटाइल मिल्स, सीटीएम चार रास्ता, रमोल रोड, अहमदाबाद - 380026</p>	<p>फा. सं. DRI/HQ- CI/50D/ Enq-05/2019 दिनांक 09.04.2019</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा - III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क</p>	
6.	<p>मै. श्री टूल्स, #285, 12^{वा} मेन, बीएसके Iला स्टेज, 2^{रा} ब्लॉक, हनुमंथनगर, बैंगलोर-560050.</p>	<p>फा. सं. DRI/BZU/ S- IV/Enq-18(Int- Nil)/2018 दिनांक 08.04.2019 (SCN No. 23/2019- DRI-BZU)</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, चेन्नई-II सीपोर्ट, कस्टम हाउस, चेन्नई.</p> <p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p> <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, केमपेगोवदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलुरु.</p>	<p>अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.</p>

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-15/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।

2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-बंगलुरु को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे
4. उप निदेशक (सी सेल), डीआरआई-मुख्यालय, नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे